

समाहरणालय सिवान
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 32 फ़ो / सा।सु।को.0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक 24.12.2012

विषय:

चालु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना-तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 72, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2063, दिनांक 01.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विषयशीर्ष-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या- P-2235037890102 तथा स्कीम कोड WEL-5500 से विकलनीय होगा।
3. आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषागार से राशि की निकारी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
4. जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में खर्च किया जायगा।
5. उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:- सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को उपावटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।

विश्वासभाजन

22/12/12
जिला पदाधिकारी,
सिवान।


समाहरणालय सिवान
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

126

वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक का इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतानादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार आवंटन।

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवतान	69400	3600	73000
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भैरवा नगर पंचायत सहित	181000	53400	234400
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुठनी	304300	108500	412800
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली	296200	104900	401100
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जीरादेई	269200	92900	362100
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान	71800	4700	76500
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज	316600	114000	430600
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आन्दर	70000	3900	73900
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रधुनाथपुर	201100	62400	263500
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसवन	175300	50900	226200
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हसनपुरा	228700	74800	303500
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पचरुखी	265900	91400	357300
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़हरिया	403000	152600	555600
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महाराजगंज नगर पंचायत सहित	159700	44000	203700
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी	361600	134100	495700
16	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर	154900	41800	196700
17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लकड़ी नबीगंज	526600	207900	734500
18	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	381400	143000	524400
19	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौंदा	93400	14400	107800
20	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।	270500	97000	367500
कुल योग:-		4800600	1600200	6400800

सोलह लाख दो सौ रुपये मात्र।


 जिला पदाधिकारी,
 सिवान।

समाहरणालय सिवान
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक/सा।सु.को.0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना-तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 72, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2063, दिनांक 01.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या- P-2235037890102 तथा स्कीम कोड WEL-5500 से विकलनीय होगा।
3. आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषांग से राशि की निकारी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
4. जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में खर्च किया जायगा।
5. उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:- सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को उपावटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।

विश्वासभाजन

30-

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक 32 H0 / सा।सु.को.0, दिनांक 24.12.2012

प्रतिलिपि:- कोषांग पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D10-को जिला की W&B के लिए प्रेषित है।

21/12/12
जिला पदाधिकारी,
सिवान।